सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, MUMBAI

फा.सं.राभा-4(3)/2026

दिनांक: 27.07.2026

सेवा में,

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय के सभी अधिकारी एवं सभी अनुभाग (ई-मेल के माध्यम से),
समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय के सभी अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी (ई-मेल के माध्यम से)

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2026 को 03.00 बजे अपराह्न को माइक्रोसॉफ्ट टीम मीडिया के माध्यम से आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विस्तृत समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करें एवं की गई कार्रवाई की सूचना यथाशीघ्र hindi-dgs@nic.in ई-मेल के माध्यम से समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय के राजभाषा अनुभाग को भिजवा दें।

भवदीय,

27.07.2026

(श्री विमलेन्द्र पाल सिंह भदौरिया)
उप निदेशक (राभा)

संलग्नक : यथोक्त

9वीं मंजिल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैंपस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व), मुंबई - 400042
9th Floor, Beta Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai - 400042.
फोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फैक्स/Fax.: +91-22-25752029/35 ई-मेल Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgma.gov.in

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय, भारत सरकार, मुंबई में दिनांक 30.06.2026 मंगलवार 03.00 बजे अपराह्न को सम्पन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय में संघ की राजभाषा नीति से संबंधित 31.03.2026 को समाप्त तिमाही संबंधी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 30.06.2026 मंगलवार 03.00 बजे अपराह्न को समुद्रीय प्रशासन महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में माइक्रोसॉफ्ट टीम मीडिया के माध्यम से वर्चुअल/आभासी रूप में संपन्न हुई। भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

1. **तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजा जाना:**

सप्रमनि के विभिन्न अनुभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से तिमाही रिपोर्टों की प्राप्ति में विलंब होने के कारण तिमाही रिपोर्टों के संकलन और तत्पश्चात मंत्रालय को रिपोर्ट भिजवाने में विलंब हो जाता है, अतएव इस संबंध में समुद्रीय प्रशासन महानिदेशक महोदय ने एक ई-मॉड्यूल तैयार करने का आदेश दिया जिससे सप्रमनि के सभी अनुभागों एवं अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों द्वारा तिमाही के आंकड़ों को डिजिटल रूप से भरा जा सके एवं रिपोर्ट प्राप्ति में विलंब न हो।

(कार्रवाई: आईटी एवं ई-गवर्नेंस, सप्रमनि)

2. **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात:**

तिमाही रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार धारा 3(3) से संबंधित अनुपालन पर संतोष जताते हुए कहा गया कि द्विभाषिक सामग्री का समुचित रिकॉर्ड रखा जाए ताकि निरीक्षण के समय सत्यापित किया जा सके और इस द्विभाषिक सामग्री को संबंधित हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी द्वारा यथासमय वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्रवाई: निदेशालय एवं अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी)

3. **हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना:**

तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान राजभाषा नियम 5 के अनुपालन पर संतोष जताया गया और सभी अधिकारियों से इस बात पर विशेष ध्यान देने हेतु कहा कि राजभाषा नियम 5 के अंतर्गत प्राप्त हिंदी पत्रों के उत्तर राजभाषा नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनिवार्यत: हिंदी में ही दिए जाएं और इस संबंध में समुचित रिकॉर्ड रखा जाए जिससे कि राजभाषा नियम 5 का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित हो सके और निरीक्षण के समय इनका यथोचित रूप से सत्यापन हो सके।

(कार्रवाई: निदेशालय एवं अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी)

4. **अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना (क और ख क्षेत्र):**

संघ की राजभाषा नीति के अनुसरण में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अधिकाधिक हिंदी में दिए जाने और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु राजभाषा के नियमानुसार एवं संसदीय राजभाषा समिति के निदेशानुसार अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर मूल रूप से हिंदी में दिए जाएं, न कि पत्रों पर हिंदी की केवल कवरिंग लगाएं। हिंदी में केवल कवरिंग लगे हुए पत्रों को हिंदी की पत्रों में गणना नहीं की जाएगी।

(कार्रवाई: निदेशालय एवं अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी)

5. **भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा:**

वार्षिक कार्यक्रम में तय किए गए लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए मूल पत्राचार संबंधी समीक्षा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि मूल पत्राचार यथासंभव हिंदी में ही किया जाए तथा प्रयास रहे कि संघ की राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में ही किया जाए और राजभाषा विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम किया जाए। जिन कार्यालयों और अनुभागों का प्रतिशत कम है पाएं उन्हें पत्र लिखकर सूचित करें और मूल पत्र को हिंदी में अधिक से अधिक लिखने को प्रोत्साहित करें।

(कार्रवाई: निदेशालय एवं अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी)

6. **फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी:**

वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रवार लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयी टिप्पणियां हिंदी में लिखे जाने को बढ़ावा देने की दिशा में सप्रमनि के समस्त कंप्यूटरों को यूनिकोड सक्षम बनाया गया जिनके माध्यम से हिंदी में कार्य किया जाना आसान है और यदि किसी को हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो उसके लिए कंप्यूटर पर फोनेटिक टाइपराइटिंग के अंग्रेजी की बोर्ड के माध्यम से ही हिंदी टाइप करने की सुविधा उपलब्ध है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार टिप्पणियों के प्रतिशत का लक्ष्य 55% है। इस लक्ष्य को दृष्टिगत रख कर कार्य किया जाए।

(कार्रवाई: निदेशालय एवं अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी)

7. **राजभाषा अनुभाग के पदों का भरा जाना:**

निदेशालय तथा निदेशालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पड़े कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के पदों को भरे जाने संबंधी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सप्रमनि महोदय ने आदेश दिया कि निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवादकों के रिक्त पड़े पदों संबंधी आकड़े लिए जाएं और तदनुसार पदों को भरने हेतु कार्रवाई किया जाय।

(कार्रवाई: उप नौवहन महानिदेशक (प्रशासन)

कोई अन्य मद न होने के कारण अपर सप्रमनि महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई।

अनुलग्नक -I

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय, भारत सरकार, मुंबई में दिनांक 30.06.2026, मंगलवार 03.00 बजे अपराह्न को सम्पन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूचीः-

क्र सं	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	कार्यालय का नाम	
1	श्री श्याम जगन्नाथन, भाप्रसे, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशक एव अपर सचिव भारत सरकार	समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय,मुंबई	अध्यक्ष
2	श्री वि.पी.सिंह भदौरिया, उप निदेशक (राभा)	समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय,मुंबई	सदस्य सचिव
3	डॉ सुधीर एस कोहकड़े , उप नौवहन महानिदेशक	समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय,मुंबई	सदस्य
4	श्री आश मोहम्मद , उप नौवहन महानिदेशक	समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय,मुंबई	सदस्य
5	श्री शिरीष कुमार	समुद्री वणिज्य विभाग मुंबई	सदस्य
6	सी.एन.सोलंकी., एल डी सी	क्षेत्रीय कार्यालय पाल मुंबई	सदस्य
7	श्री सुधीर कुमार श्रीवास्थाव ,प्रभारी सर्वेक्षक	समुद्री वणिज्य विभाग गोवा	सदस्य
8	श्री आशीष वानखेडे	समुद्री वणिज्य विभाग जामनगर	सदस्य
9	श्री निकेत पाठक	समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय,मुंबई	सदस्य
10	श्री अरबिन्द कुमार चौधरी	समुद्री वणिज्य विभाग विशाखापतनम	सदस्य
11	श्री धर्मेन्द्र कुमार	समुद्री वाणिज्य विभाग कांडला	सदस्य
12	श्री संतोष कुमार	समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय,मुंबई	सदस्य
13	श्री वननेरु राजशेखर		सदस्य
14	श्री गौरी लाल मीना	समुद्री वाणिज्य विभाग नोएडा (परीक्षा केंद्र)	सदस्य
15	श्री मनीष कुमार	समुद्री वाणिज्य विभाग मुंबई	सदस्य
16	श्री बीजेन्द्र चौबे,	सरकारी नौवहन कार्यालय, कोलकाता	सदस्य
17	श्री बोध राज	समुद्री वणिज्य विभाग, कोची	सदस्य
18	श्री अजय शंकर	समुद्री वणिज्य विभाग, कोची	सदस्य
19	श्री सुनील निवावे	समुद्री वणिज्य विभाग, कोची	सदस्य
20	श्री नेबू उम्मन	समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय,मुंबई	सदस्य
21	श्री संजय मौर्या	समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय,मुंबई	सदस्य

22	कप्तान श्री महादेव	समुद्री प्रशासन महानिदेशालय,मुंबई	सदस्य
23	श्री दिनेश माटे	समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय,मुंबई	सदस्य
24	श्री प्रणीत चौधरी	समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय,मुंबई	सदस्य
25	श्रीमती रितु सिंह	समुद्री वणिज्य विभाग कोलकाता	सदस्य
26	श्री संतोष कुमार सिंह	सरकारी नौवहन कार्यालय, मुंबई	सदस्य
27	श्री अजय भगत , बहु कौशल कर्मचारी	समुद्री वणिज्य विभाग मुंबई	सदस्य
28	श्री विक्रांत राय, प्रधान अधिकारी	समुद्री वणिज्य विभाग कोलकाता	सदस्य
29	श्री सतीश कामत, इंजीनियर एव पोत सर्वेक्षक	समुद्री वाणिज्य विभाग नोएडा (परीक्षा केंद्र)	सदस्य